

तार : पर्यावरण

GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय

Regional Office



सन्दर्भ सं०

Ref. No. ....

24001 रिट याचिका - 35/20

दिनांक

14/01/20

Dated : .....20

To,

The Deputy Registrar (Judicial)  
National Green Tribunal,  
Principal Bench, New Delhi-110001

**Subject:- Hon'ble NGT order dated 01-11-2019 (O.A.No.919/2019) in the matter of Bal Bahadur Singh Vs. State of Uttar Pradesh before NGT, Principal Bench, New Delhi.**

Hon'ble Sir,

That the Hon'ble NGT has pass Following order in OA no.919/2019 on dated 01/11/2019.

*".... Grievance in this application is that there is encroachment of ponds by Nilansh Group in Village Tikri Kalan and Village Badaiya Pargana, Tehsil Malihabad, District Lucknow, Uttar Pradesh.*

*Let the District Magistrate, Lucknow and the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The SPCB will be the nodal agency for coordination and compliance."*

*A copy of this order, along with compliant, be sent to the District Magistrate, Lucknow and the SPCB by e-mail for compliance.*

*Needless to say that order of National Green Tribunal is binding as a decree of Courts and non compliance is actionable by way of punitive action including prosecution, in terms of the National Green Tribunal Act-2010*

With respect is stated that in compliance of order mentioned above the Uttar Pradesh Pollution Control Board has complied with the aforesaid order on 01-11-2019. In accordance to the compliance of order passed by the Hon'ble NGT the District Magistrate Lucknow constituted a committee of Sub-Divisional Magistrate Malihabad and Regional Officer UPPCB Lucknow on dated 18-11-2019. Joint committee report of Sub-Divisional Magistrate Malihabad and Regional Officer UPPCB Lucknow is annexed herewith this letter for your kind perusal.

Lucknow

Dated :- 14-01-2020

With Regards,

(Dr. Ram Karan)

Regional Officer

U.P. Pollution Control Board,  
PICUP Bhawan, Gomti Nagar,  
Lucknow

Received By Hand 14/12/19  
Mr. Shiv Kumar  
9695520528  
SA

कार्यालय उप जिलाधिकारी मलिहाबाद, लखनऊ

संख्या 193 /एसटी/जॉच/एनजीटी/2019

दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
लखनऊ।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र संख्या 2075/एन.जी.टी./ओ.ए. नम्बर/919/2019 दिनांक 18 नवम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 919/2019 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2019 को उद्धृत करते हुए प्रार्थी बाल बहादुर निवासी- जी0-24 आदर्श कालोनी कल्यानपुर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2019 के क्रम में ग्राम टिकरी कला व बदैया परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ स्थित तालाब खाते में दर्ज भूमियों पर कथित अनाधिकृत कब्जे की स्थलीय व अभिलेखीय जॉच कर सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में तहसील स्तर पर गठित राजस्व टीम एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम टिकरी कला व बदैया परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 198, 243, 04, 208, 193, 235 की अभिलेखीय व स्थलीय जॉच की गयी। जॉचोपरान्त आख्या निम्नवत है:-

ग्राम टिकरी कला स्थित गाटा संख्या 198/0.003 व 243/0.063 व 04/0.086 व 208/0.069 व 193/0.152 व 235/0.066 राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में अंकित है (संलग्नक-1)। स्थलीय निरीक्षण से विदित हुआ कि गाटा संख्या 198/0.003 व 208/0.069 व 235/0.066 पूर्णतया वर्तमान में गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र में समाहित है। गाटा संख्या 243/0.063 का सम्पूर्ण भाग नीलांश ग्रुप द्वारा निर्मित बाउण्ड्रीवाल के अन्दर कर लिया गया है। उक्त गाटा वर्तमान में तालाब के स्वरूप में न होकर समतल भूमि के रूप में है तथा मौके पर रिक्त है व कोई निर्माण कार्य नहीं है। गाटा संख्या 193/0.152 का आंशिक भाग भी नीलांश ग्रुप द्वारा निर्मित बाउण्ड्रीवाल के भीतर है व शेष भाग गोमती नदी के प्रवाहित क्षेत्र में सम्मिलित है। उक्त गाटे के नीलांश ग्रुप के सीमा के भीतर का भाग रिक्त है। गाटा संख्या

क्षेत्र-3A. (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)  
28.12.19  
AOM(E)

4/0.086 टिकरी कलों की आबादी के पास स्थित है तथा नीलांश ग्रुप की बाउण्डीवाल से बाहर लगभग 01 कि०मी० दूर है ( संलग्नक-2 व 2क )।

उल्लिखित तालाब खाते में दर्ज कोई भी गाटा में से ग्राम बदैया परगना व तहसील मलिहाबाद में स्थित नहीं है ( संलग्नक-3)। ग्राम बदैया में स्थित तालाब गाटा संख्या 1041/ 1.037 पूर्णतया नीलांश ग्रुप की बाउण्डीवाल के अन्दर है, जिसका 10 वर्षीय मत्स्य पालन हेतु आवंटन ग्राम पंचायत बदैया द्वारा सन्तू पुत्र रिक्खी निवासी खजहापुरवा मजरा टिकरी कला को दिनांक 23.02.2016 को किया गया था। दिनांक 19.03.2017 को आवंटी सन्तू पुत्र रिक्खी की मृत्यु हो गयी है, जिसके संबंध में श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० सन्तू नि० खजहापुरवा मजरा टिकरी कला द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त तालाब पर उसके द्वारा लगातार मत्स्य पालन किया जा रहा है। तालाब तक आने-जाने में कोई बाधा नहीं होती है ( संलग्नक-4 व 5)।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम टिकरी कला की गाटा संख्या 186/0.253 जो नदी के नाम अंकित है। नीलांश ग्रुप की बाउण्डी के अन्दर है। ग्राम बदैया स्थित नदी गाटा संख्या 995/0.582 व 996/0.013 व 971/0.645 फार्म हाउस से घिरे हुये हैं स्थल पर खाली है (संलग्नक-6 व 7)। नीलांश ग्रुप द्वारा अतिक्रमित तालाब व नदी के नाम दर्ज भूमियों से बेदखली हेतु धारा-67, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार मलिहाबाद में वाद दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है ( संलग्नक-8 व 9)। गोमती नदी अपने वर्तमान प्रवाह में ग्राम बदैया के गाटा 944/1.030, 947/0.741, 955/1.930, 957/0.944, 979/0.395, 980/0.196, 981/0.335, 1002/0.259, 1003/0.405, 1009/0.481, 1007/0.398, 1005/0.111, 1006/0.152, 1078/1.093, 1080/0.142, 1081/1.163 व ग्राम टिकरी कला के गाटा संख्या 171/0.120, 172/0.246, 178/0.063, 179/0.228, 180/0.180, 181/0.104, 184/0.132, 189/0.038, 190/0.174, 191/0.006, 192/0.028, 193/0.152, 194/0.455, 195/0.785, 197/0.278, 198/0.002, 199/0.025, 200/0.091, 201/0.079, 202/0.147, 203/0.112, 205/0.158, 206/0.038, 207/0.073, 208/0.069, 230/0.069, 231/0.177, 232/0.288, 233/0.202, 234/0.303, 235/0.066, 237/0.089, 238/0.190, 239/0.132, 240/0.139, 241/0.218, 242/0.063, 245/0.215, 246/0.362, 247/0.089, 248/0.117, 249/0.114, 250/0.101, 251/0.291, 252/0.114, 253/0.114, 257/0.106, 258/0.132 संतोष श्रीवास्तव, सतीश

श्रीवास्तव पुत्रगण स्व० जे०एन० श्रीवास्तव निवासीगण सी०-4141 राजाजीपुरम लखनऊ व मदन लाल रावत पुत्र स्व० राधे लाल रावत निवासी बंगला बाजार लखनऊ आदि खातेदारों की भूमि में आंशिक एवं पूर्ण भाग में प्रवाहित हो रही है। (संलग्नक-10)

वर्तमान में गोमती नदी अपने मूल प्रवाह क्षेत्र को छोड़कर ( जो ग्राम बदैया के नक्शे पर अंकित है ) पूर्व उल्लिखित अन्य भूमि जो काश्तकारों की भूमिधरी की भूमि है, पर प्रवाहित है (संलग्नक-11 व 12)। ग्राम बदैया के राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 1022स/3.705 हे० नदी अंकित है, परन्तु सीमावर्ती ग्राम अकड़रिया कलां तहसील बख्शी का तालाब के रकबे में भी नदी का पूर्व प्रवाह स्थल नक्शे पर एवं अभिलेखों में अंकित है, इस प्रकार नदी के नाम अंकित गाटा संख्या 1022स/3.705 हे० स्थित ग्राम बदैया, ग्राम अकड़रिया कला में भी दर्ज होने के कारण भ्रामक स्थिति मौके पर बनी हुई है। ग्राम अकड़रिया कलां वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। मौके पर उपस्थित चकबन्दी स्टाफ द्वारा प्रश्नगत नदी का रकबा ग्राम अकड़रिया कलां का बताया जा रहा है तथा जिसमें ग्राम अकड़रिया कलां में काश्तकारों के चक बनाये गये हैं, जिसमें से आंशिक भूमि नीलांश गुप द्वारा कय करके अपने रिजार्ट में सम्मिलित कर लिया है, जिसके सम्बन्ध में उचित माध्यम द्वारा सक्षम स्तर से नदी के मूल क्षेत्रफल के पुनर्स्थापन हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः प्रकरण में उल्लिखित अतिक्रमित सार्वजनिक भूमियों पर न्यायालय तहसीलदार मलिहाबाद के न्यायालय में प्रचलित वाद अन्तर्गत धारा-67 के निस्तारणोपरान्त न्यायालय के आदेश के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आख्या अग्रिम व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।



  
( क्षेत्रीय अधिकारी )  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

  
( अभिनव रंजन श्रीवास्तव )  
उप जिलाधिकारी,  
मलिहाबाद, लखनऊ

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त संलग्न पत्र संख्या 2075/एन. जी.टी./ओ.ए. नवम्बर /919/2019 दिनांक 18 नवम्बर 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 919/2019 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2019 को उद्धृत करते हुये प्रार्थी बाल बहादुर निवासी- जी0 24 आदर्श कालोनी कल्यानपुर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2019 के कम में ग्राम टिकरी कलां व बदैया परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ स्थित तालाब खाते में दर्ज भूमियों पर कथित अनाधिकृत कब्जे की स्थलीय व अभिलेखीय जांच के सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेश के अनुपालन में तहसील स्तर पर गठित राजस्व टीम द्वारा ग्राम टिकरी कलां व बदैया परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 198, 243, 04, 208, 193, 235 की अभिलेखीय व स्थलीय जांच की गयी। जांचोपरान्त आख्या निम्नवत है:-

ग्राम टिकरी कलां स्थित गाटा संख्या 198/0.003 व 243/0.063 व 04/0.086 व 208/0.069 व 193/0.152 व 235/0.066 राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में अंकित है (संलग्नक-1व)। स्थलीय निरीक्षण से विदित हुआ कि गाटा संख्या 198/0.003 व 208/0.069 व 235/0.066 पूर्णतया वर्तमान में गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र में समाहित है। गाटा संख्या 243/0.063 का सम्पूर्ण भाग नीलांश गुप द्वारा निर्मित बाउण्डी वाल के अन्दर कर लिया गया है उक्त गाटा वर्तमान में तालाब के स्वरूप में न होकर समतल भूमि के रूप में है तथा मौके पर रिक्त है व कोई निर्माण कार्य नहीं है। गाटा संख्या 193/0.152 का आंशिक भाग भी नीलांश गुप द्वारा निर्मित बाउण्डी वाल के भीतर है व शेष भाग गोमती नदी के प्रवाहित क्षेत्र में सम्मिलित है। उक्त गाटे के नीलांश गुप के सीमा के भीतर का भाग रिक्त है। गाटा

  
  
  
  
जिलाधिकारी  
लखनऊ

संख्या 4/0.086 टिकरी कलों की आबादी के पास स्थित है तथा नीलांश गुप की बाउण्ड्री वाल से बाहर लगभग 01 किमी0 दूर है (संलग्नक-2 व 2क)।

उल्लिखित तालाब खाते में दर्ज कोई भी गाटा में से ग्राम बदैया परगना व तहसील मलिहाबाद में स्थित नहीं है (संलग्नक-3)। ग्राम बदैया में स्थित तालाब गाटा संख्या 1041/1.037 पूर्णतया नीलांश गुप की बाउण्ड्री वाल के अन्दर है। जिसका 10 वर्षीय मत्स्य पालन हेतु आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम पंचायत बदैया द्वारा सन्तु पुत्र रिक्खी निवासी खजहापुरवा मजरा टिकरी कलां को दिनांक 23.02.2016 को किया गया था, दिनांक 19.03.2017 को आवन्टी सन्तु पुत्र रिक्खी की मृत्यु हो गई है, जिसके सम्बन्ध में श्रीमती शान्ती पत्नी स्व0 सन्तु नि0 खजहापुरवा मजरा टिकरी कलां द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त तालाब पर उसके द्वारा लगातार मत्स्य पालन किया जा रहा है तालाब तक आने-जाने में कोई बाधा नहीं होती है (संलग्नक-4 व 5)।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम टिकरी कलां की गाटा संख्या 186/0.253 जो नदी के नाम अंकित है नीलांश गुप की बाउण्ड्री के अन्दर है। ग्राम बदैया स्थित नदी गाटा संख्या 995/0.582 व 996/0.013 व 971/0.645 फार्म हाउस से घिरे हुये है स्थल पर खाली है (संलग्नक-6 व 7)। नीलांश गुप द्वारा अतिक्रमित तालाब व नदी के नाम दर्ज भूमियों से बेदखली हेतु धारा-67, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार मलिहाबाद में वाद दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है (संलग्नक-8 व 9)। गोमती नदी अपने वर्तमान प्रवाह में ग्राम बदैया के

गाटा 944/1.030, 947/0.741, 955/1.930, 957/0.944, 979/0.395, 980/0.196, 981/0.335, 1002/0.259, 1003/0.405, 1009/0.481, 1007/0.398, 1005/0.111, 1006/0.152, 1078/1.093, 1080/0.142, 1081/1.163 व ग्राम टिकरी कलां के गाटा संख्या 171/0.120, 172/0.246, 178/0.063, 179/0.228, 180/0.180, 181/0.104, 184/0.132, 189/0.038, 190/0.174, 191/0.006, 192/0.028, 193/0.152, 194/0.455, 195/0.785, 197/0.278, 198/0.002,

  
महसुलदार

  
दस्तावेज

  
कमिश्नर

  
कमिश्नर, 12/11/19  
(र.1)

199 / 0.025, 200 / 0.091, 201 / 0.079, 202 / 0.147, 203 / 0.112, 205 / 0.158,  
206 / 0.038, 207 / 0.073, 208 / 0.069, 230 / 0.069, 231 / 0.177, 232 / 0.288,  
233 / 0.202, 234 / 0.303, 235 / 0.066, 237 / 0.089, 238 / 0.190, 239 / 0.132,  
240 / 0.139, 241 / 0.218, 242 / 0.063, 245 / 0.215, 246 / 0.362, 247 / 0.089,  
248 / 0.117, 249 / 0.114, 250 / 0.101, 251 / 0.291, 252 / 0.114, 253 / 0.114,  
257 / 0.106, 258 / 0.132 सन्तोष श्रीवास्तव, सतीश श्रीवास्तव पुत्रगण स्व0 जे0एन0  
श्रीवास्तव निवासीगण सी0-4141 राजाजीपुरम लखनऊ व मदन लाल रावत पुत्र स्व0  
राधे लाल रावत निवासी बंगला बाजार लखनऊ आदि खातेदारों की भूमि में आंशिक  
एवं पूर्ण भाग में प्रवाहित हो रही है। (संलग्नक-10)।

वर्तमान में गोमती नदी अपने मूल प्रवाह क्षेत्र को छोड़कर (जो ग्राम बदैया के नक्शे पर अंकित है) पूर्व उल्लिखित अन्य भूमि जो काश्तकारों की भूमिधरी की भूमि है पर प्रवाहित है (संलग्नक-11 व 12)। ग्राम बदैया के राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 1022स/3.705हे0 नदी अंकित है, परन्तु सीमावर्ती ग्राम अकडरिया कलां तहसील बक्शी का तालाब के रकबे में भी नदी का पूर्व प्रवाह स्थल नक्शों पर एवं अभिलेखों में अंकित है, इस प्रकार नदी के नाम अंकित गाटा संख्या 1022स/3.705हे0 स्थित ग्राम बदैया, ग्राम अकडरिया कलां में भी दर्ज होने के कारण भ्रामक स्थिति मौके पर बनी हुई है ग्राम अकडरिया कलां वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है मौके पर उपस्थित चकबन्दी स्टाफ द्वारा प्रश्नगत नदी का रकबा ग्राम अकडरिया कलां का बताया जा रहा है तथा जिसमें ग्राम अकडरिया कलां में काश्तकारों के चक बनाये गये हैं जिसमें से आंशिक भूमि नीलांश गुप द्वारा कय करके अपने रिजार्ट में सम्मिलित कर लिया है, जिसके सम्बन्ध में उचित माध्यम द्वारा सक्षम स्तर से नदी के मूल क्षेत्रफल के पुनर्स्थापन हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

आख्या अग्रिम व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

  
12/12/19 2.1.19 2.1.19

संख्या 2075 / एनजीटी / ओए नम्बर 919 / 2019

कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

दिनांक नवम्बर/8, 2019

कार्यालय आदेश

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 919/2019 बाल बहादुर सिंह बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 एवं अन्य में दिनांक 01.11.2019 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है-

"Grievance in this application is that there is encroachment of ponds by Nilansh Group in Village Tikri Kalan and village Badaiya Pargana, Tehsil Mahilabad, District Lucknow, Uttar Pradesh.

Let the District Magistrate, Lucknow and the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The SPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

A copy this order, along with complaint, be sent to the District Magistrate, Lucknow and the SPCB by e-mail for compliance.

Needless to say that order of National Green Tribunal is binding as a decree of Court and non-compliance is actionable by way of punitive action including prosecution, in terms of the National Green Tribunal Act-2010

List for further consideration on 07-02-2020.

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के समादर में ग्राम टिकरीकलों एवं ग्राम बदैया परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ स्थित तालाब खाते में दर्ज भूमियों पर कथित अनाधिकृत कब्जे की जाँच हेतु निम्नवत् कमेटी का गठन किया जाता है-

1. उप जिलाधिकारी मलिहाबाद, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

उपरोक्त गठित कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर पत्र संयुक्त रूप से स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच के आधार पर सुस्पष्ट आख्या अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(अभिषेक प्रकाश)

जिलाधिकारी, लखनऊ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ।
2. उप जिलाधिकारी मलिहाबाद, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी (भू0व्य0)/जिला भू0व्य0लिपिक को अनुश्रवण हेतु।

जिलाधिकारी,  
लखनऊ



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

16/11/19

पत्रांक संख्या-1143689/सी-5/681/सो.सं.ले.०११९/२०१९

दिनांक.....14.11.19

मा० एन.जी.टी. प्रकरण/  
समयबद्ध/महत्वपूर्ण

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या-919/2019 बाल बहादुर सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.11.2019 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या-919/2019 बाल बहादुर सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य दिनांक 01.11.2019 में पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आपको इस निर्देशित किया जाता है कि मा० एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, लखनऊ से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से अनुपालन आख्या मा० एन.जी.टी. में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि: विधि अधिकारी, प्रथम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अक्ष (A)  
18/11/19

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 919/2019

Bal Bahadur Singh

Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent(s)

Date of hearing: 01.11.2019

**CORAM:** HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE S.P WANGDI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER  
HON'BLE MR. SAIBAL DASGUPTA, EXPERT MEMBER

**Application is registered based on a complaint received by post**

**ORDER**

Grievance in this application is that there is encroachment of ponds by Nilansh Group in Village Tikri Kalan and Village Badaiya Pargana, Tehsil Mahilabad, District Lucknow, Uttar Pradesh.

Let the District Magistrate, Lucknow and the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter; take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in). The SPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

A copy of this order, along with complaint, be sent to the District Magistrate, Lucknow and the SPCB by e-mail for compliance.

Needless to say that order of National Green Tribunal is binding as a decree of Court and non-compliance is actionable by way of

107  
27 531

14/11/19

AD/ERT/1/182

punitive action including prosecution, in terms of the National Green Tribunal Act, 2010.

List for further consideration on 07.02.2020.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Satyawan Singh Garbyal, EM

Saibal Dasgupta, EM

November 01, 2019  
Original Application No. 919/2019  
DV



1

सेवा में

माननीय मुख्य सचिव

जिला न्यायाधीश

जिला न्यायाधीश (सिविल) के कार्यालय में, दिल्ली

उत्तर (19/8/19)

Regd No.  
8164/19  
19/8/19

विषय : ग्राम टिकरी कलां व ग्राम बदैया परगना व तहसील महिलाबाद में नीलाश ग्रुप द्वारा तालाबों, गोमती नदी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर टाउनशिप बनाकर विक्रय व कामर्सियल उपयोग किया जाना के मामले में पैमाइश कर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

GA - No - 919/19

महोदय,

File no DA  
Muzumdar  
11/5

सादर निवेदन है कि इस प्रकार है कि नीलाश ग्रुप/नीलाश विल्डर/युवराज टाउनशिप प्रा0लि0 के चेयरमैन सतोंष श्रीवास्तव व सतीश श्रीवास्तव निवासी सी-4343, सेक्टर-13 राजाजीपुरम द्वारा उपरोक्त ग्रामों की गोमती नदी के किनारे 2014 से रिवर व्यू रिस्टार्ट एण्ड फार्म हाउस के नाम से सैकड़ों बीघा ग्राम समाज की जमीन (तालाब, नदी का हिस्सा, जमीन) को कब्जा कर बेचा जा रहा है। बीस एकड़ जमीन क्रय कर 200 एकड़ पर कब्जा कर विक्रय किया जा रहा है। सन् 2016 से लगातार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है।

31/05  
21/15

दिनांक 24.01.2018 को मा0 मुख्यमंत्री जो प्रेषित शिकायती पत्र पर 12 महीने बाद जांच आख्या एस0डी0एम0 मलिहाबाद द्वारा भेजी गयी जो आधी अधूरी व नीलाश ग्रुप के पक्ष में है। उक्त टाउनशिप मात्र फार्म हाउस बताया गया है जबकि तालाब, बजार भूमि व नदी के हिस्से को जो ग्राम टिकरीकलां व बदैया के अन्तर्गत आता है के सम्बन्ध में तथ्यों को छिपाया गया है। दिनांक 26.06.2019 को जिलाधिकारी महोदय को पुनः शिकायती पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

11/5

नीलाश ग्रुप द्वारा टिकरीकलां व बदैया के तालाब गाटा सं0 198, 243, 04, 208, 193, 235 को अपने कब्जे में लेकर बेच दिया गया है, उस पर

कामशियल गतिविधियां की जा रही हैं उपर अवेध कब्जे में ग्राम प्रधान बदइयां का भी सहयोग है।

गोमती नदी का काफी रिस्ता कब्जे में लिया गया है। नदी के किनारे दीवार बनायी गयी है नदी के पानी के बहाव को रोका गया है। स्वीमिंग पूल, रिस्टार्ट, बंगले आदि बनाये गये हैं। आवासीय मकान बेंव भी दिए गए हैं। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का खूब उल्लंघन किया जा गया है। श्रीमान एस्०डी०एम० मलिहाबाद द्वारा जांच में रुधि नहीं ली गयी और न ही रथतीय निरीक्षण किया गया। नीलाश गुप को राजनीतिक सुरक्षण प्राप्त है। यह भूमाफिया है इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। 2016 से लगातार शिकायत होने के बाद भी अभी तक कार्यवाही न होने से अवेध रूप से कब्जा कर सैकड़ों आवास बनाकर बेचे जा चुके हैं।

अतः मातः अक्षुराध है कि नीलाश गुप द्वारा कय की गयी जमीन की प्रमाहण करवाकर सरकारी तालाकों, नदी की जमीन को कसया जाय तथा नीलाश गुप के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करे।

आपकी महान कृपा होगी।

- संलग्नक :
1. मा० मुख्यमंत्री जी को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।
  2. एस्०डी०एम० महोदय, मलिहाबाद की जांच आख्या।
  3. नीलाश गुप से सम्बन्धित कागजात 4 बर्क।

दिनांक : 12/7/19

भवदीय

(बल बहादुर सिंह)  
जी-24, आदश कालोनी,  
कल्याणपुर, लखनऊ।  
मो० : 9451990100

उद्घरण खतौनी (शासकीय)

संलग्नक-1

उद्घरण क्रमांक : 14301720191291



ग्राम क्रमांक : 143017 ग्राम का नाम / परगना : टिकरी कलां(मलिहाबाद)

तहसील : मलिहाबाद

जनपद : लखनऊ

फसली वर्ष : 1422-1427

भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खतदार का नाम / पिता पति सरसकक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
-----------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13
---	-------------	---	---	---	---	------	----

श्रेणी : G-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

00408	तालाब / . / .		198 243 4 208 193 235	0.0030 0.0630 0.0860 0.0690 0.1520 0.0660			
			6	0.4390	0.00	0	0

कुल गाटे- कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव चार तीन नौ शून्य (हिकटेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: VISHAL SINGH

उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वैधिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सक्षम अधिकारी: AMIT SRIVASTAVA

तहसील: मलिहाबाद जनपद: लखनऊ


दिनांक एवं समय: 11-12-2019 02:38:25

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।





संलग्नक - 2(क)



ग्राम बदैयाँ



ग्राम कमातल पूर लुधौरा

ग्राम गकडीरिया

ग्राम बहरोरा

सिलान शीट नम्बर 2 से

सैयद मुहम्मद हुसैन  
देस

रफ़ीक़ुल्लाह अक़्बाल  
डा. कलम

मक़दूम  
चकबन्दी कला

मो. अमरुत  
सहायक चकबन्दी अधिकारी

Swamy  
चकबन्दी अधिकारी

बन्दीबस्ता अधिकारी  
चकबन्दी  
(लखनऊ)

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

संज्ञानक-3

उद्धरण क्रमांक : 143016201912188

ग्राम क्रमांक : 143016

ग्राम का नाम / पराना : बदैया(मलिहाबाद)

तहसील : मलिहाबाद

जनपद : लखनऊ

फसली वर्ष : 1426-1431

भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खतिदार का नाम / पिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतिदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनोंक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद	दिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13
00642	चकमर्गा / /		404 452 411स 628 93 626 798 866 647 11 40 83 358 375 733 772 891 901 50 948	0.0220 0.0540 0.0590 0.0240 0.0630 0.0450 0.0110 0.0210 0.0250 0.0240 0.1200 0.0980 0.0550 0.0730 0.0330 0.0480 0.0660 0.0190 0.0280 0.0470			

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमयन भूमि ।

**संलग्नक - 3**

77	0.0370
250	0.0280
417	0.0150
927	0.0330
412	0.0550
924	0.0380
370	0.0610
605	0.0990
612	0.0340
728	0.0440
864	0.1180
868	0.0220
92	0.0400
153	0.0400
413	0.0220
451	0.0840
472	0.0170
521	0.0160
851	0.0220
854	0.0270
946	0.0370
958	0.0420
423₹	0.0100
539	0.0430
558	0.7420
717	0.0230
758	0.0630
188	0.0120
481	0.0550
482	0.0160
440	0.0210
422₹	0.0060

संलग्नक-3

			634	0.0540			
			759	0.0100			
			191	0.0290			
			193	0.0140			
			342	0.0250			
			353	0.0570			
			379	0.0200			
			488	0.1050			
			189	0.0460			
			587	0.1070			
			953	0.1730			
			663	0.0860			
			776	0.0280			
			871	0.0310			
			34	0.0170			
			456	0.0090			
			517	0.0260			
			529	0.0540			
			762	0.0670			
			782	0.1020			
			420	0.0400			
			73	3.9570			

कुल गाटे- सात तीन कुल क्षेत्रफल- तीन दशमलव नौ पाँच सात शतक (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शतक दशमलव शतक शतक रुपये

Data Digitally Signed by: RAM SURAT YADAV

उपरोक्त उद्घरण खतौली का वेबसिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सक्षम अधिकारी: AMIT SRIVASTAVA  
पता: मन्सिराज नगर, लखनऊ  
दिनांक एवं समय: 11-12-2019 04:07:46  
यह उद्घरण खतौली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



### उद्घरण खतौनी (शासकीय)

# संलग्नक-3

उद्घरण क्रमांक : 143016201912189

ग्राम क्रमांक : 143016    ग्राम का नाम / परगना : बदैया(मलिहाबाद)    तहसील : मलिहाबाद    जनपद : लखनऊ    फसली वर्ष : 1426-1431    भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खतौदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खतौ के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतौदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक संहिता और आशा देने वाले अधिकारी का पद	दिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणिय भूमिधरो केअधिकार में हो।

00217	बदल / अगनू / नि. ग्राम राम पाल / डोरी लाल / नि. भवानी खेडा मजरे बदैया राम किशन / डोरी लाल / नि. भवानी खेडा मजरे बदैया राम कुमार / डोरी लाल / नि. भवानी खेडा मजरे बदैया	1382फ	235.	0.4020				
कुल गाटे- एक	कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव चार शून्य दो शून्य (हिकटेयर)		1	0.4020	9.90	0	0	

Data Digitally Signed by: RAM SURAT YADAV

उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेबकिशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सक्षम अधिकारी: AMIT SRIVASTAVA  
तहसील: मलिहाबाद जनपद: लखनऊ  
दिनांक एवं समय: 11-12-2019 04:08:09

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



## उद्घरण खतौनी (शासकीय)

संलग्नक - 3

उद्घरण क्रमांक : 143016201912184

ग्राम क्रमांक : 143016 ग्राम का नाम / परगना : बदैया(मलिहाबाद) तहसील : मलिहाबाद जनपद : लखनऊ फंसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खतदार का नाम / पिता परि संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो सार्वजनिक भूमिधरो के अधिकार में हो।

00387	राम खेलावन / गजोधर / नि.ग्राम	1382फ, 1383फ, 1383फ.	19 197 198	0.2370 0.0190 0.2150			
		1383फ. 1383फ.	201 203/2	0.0730 0.0570			
कुल गाटे- पाँच	कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव छः शून्य एक शून्य (हिकटेयर)		कुल भू-राजस्व - एक एक दशमलव सात शून्य ससरे	5	0.6010	11.70	0

Data Digitally Signed by: RAM SURAT YADAV

उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरीफिकेशन <http://upbhulekt.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: AMIT SRIVASTAVA

तहसील: मलिहाबाद जनपद: लखनऊ

दिनांक एवं समय: 11-12-2019 04:06:43

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्घरण खतौनी (शासकीय)

उद्घरण क्रमांक : 143016201912185

संख्या नक-3



ग्राम क्रमांक : 143016	ग्राम का नाम / पराना : बदैया(मलिहाबाद)	तहसील : मलिहाबाद	जनपद : लखनऊ	फसली वर्ष : 1426-1431	भाग : 1		
खाला खतौनी क्रम संख्या	खतौदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खतौ के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतौदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00288	मुन्तिलाल / दन्ना / नि. ग्राम भितान / दन्ना / नि. ग्राम सुखराम / दन्ना / नि. ग्राम जयराम / दन्ना / नि. ग्राम रामदुलारे / दन्ना / नि. ग्राम राधैलाल / दन्ना / नि. ग्राम लालन / राम भरोसे / नि. ग्राम रजनू / राम भरोसे / नि. ग्राम हिमांशु / राम भरोसे / नि. ग्राम पिन्कू / राम भरोसे / नि. ग्राम खुशीराम 15 वर्ष स.माता / राम भरोसे / नि. ग्राम कु0 जूली 13वर्ष स.माता / राम भरोसे / नि. ग्राम कु0 रूची 11वर्ष स.माता / राम भरोसे / नि. ग्राम श्रीमती पियारा / पत्नी स्व. राम भरोसे / नि. ग्राम	1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ. 1382फ.	243 245 253 254 275 803	0.0880 0.1450 0.0990 0.0540 0.3890 0.0570	6 0.8320	21.65 0	0
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------	------------	---

कुल गाटे- छः कुल क्षेत्रफल- सून्य दशमलव आठ तीन दो सून्य (हिकटेयर) कुल भू-राजस्व - दो एक दशमलव छः पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAM SURAT YADAV

उद्घरण खतौनी का वेबसिग्नेचर <http://upphulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सक्षम अधिकारी: AMIT SRIVASTAVA

तहसील: मलिहाबाद जनपद: लखनऊ

दिनांक एवं समय: 11-12-2019 04:07:03

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

संलग्नक-3

उद्धरण क्रमांक : 143016201912186



ग्राम क्रमांक : 143016    ग्राम का नाम / परगना : बदैया(मलिहाबाद)    तहसील : मलिहाबाद    जनपद : लखनऊ    फसली वर्ष : 1426-1431    भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खतेदार का नाम / पिता परिते सरसकक का नाम / निवास स्थान	शैमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद	दिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13


श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।

00100	जगदेई / वेवा कृपाली / नि.ग्राम बाबू / काशी / नि. ग्राम श्रीमती बिट्टेदेवी / पत्नी जगन्नाथ / नि. भवानीखेडा म.ग्राम रमेश / राम लाल / नि. भवानीखेडा म.ग्राम छोट्ट / राम लाल / नि. ्राम राजेन्द / राम लाल / नि. ्राम श्रीमती श्यामा / पत्नी स्व. राम लाल / नि. ्राम	1382फ, 1382फ,	4 202	0.0950 0.1390	4.80	0	0
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------	------------------	------	---	---

कुल गाटे- दो    कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव दो तीन चार शून्य (हेक्टियर)    कुल भूराजस्व - चार दशमलव आठ शून्य समरे

Data Digitally Signed by: RAM SURAT YADAV

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेबकिनेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सक्षम अधिकारी: AMIT SRIVASTAVA

तहसील: मलिहाबाद    जनपद: लखनऊ

दिनांक एवं समय: 11-12-2019 04:07:17

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीबरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

## उद्घरण खतौनी (शासकीय)

उद्घरण क्रमांक : 143016201912187

संलग्नक-3



ग्राम क्रमांक : 143016 ग्राम का नाम / परगना : बदैया(मलिहाबाद) तहसील : मलिहाबाद जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1


खता खतौनी क्रम संख्या	खतदार का नाम / पिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।

00424	रामभजन / रामअसरे / नि. भवानीखेडा म.ग्राम श्रीमती शिवदुलारी / पत्नी स्व. रामअसरे / नि. भवानीखेडा म.ग्राम हरिनाम / पुतीलाल / भवानीखेडा म.ग्राम विमलेश / पुतीलाल / भवानीखेडा म.ग्राम बलराम / पुतीलाल / भवानीखेडा म.ग्राम श्रीमती शिवदुलारी / स्व. पुतीलाल / भवानीखेडा म.ग्राम नगोपवर / चन्दी / नि. भवानी खेडा म.ग्राम	1398फ,	208	0.1950			बैंक ऑफ इंडिया शाखा माल के बंधक पत्र दिनांक 06-08-2019 के अनुसार रामभजन पुत्र रामअसरे निवासी ग्राम भवानीखेडा मजरा बदैया ने गाटा सं 221, 459, 209, 208 का अपना अंश बंधक किया। ह.र.का. 03.09.2019
कुल गाटे- एक	कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव एक नौ पंच शून्य (हेक्टर)	कुल भू-राजस्व - चार दशमलव आठ शून्य रुपये	1	0.1950	4.80	0	1

Data Digitally Signed by: RAJENDRA PRASAD SRIVASTAVA

उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेबप्लिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सक्षम अधिकारी: AMIT SRIVASTAVA

तहसील: मलिहाबाद जनपद: लखनऊ

दिनांक एवं समय: 11-12-2019 04:07:34

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

99AD 501443

शपथ-पत्र

समक्ष: उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील- मलिहाबाद लखनऊ

मे शपथिनी शान्ती आयु लगभग 58 वर्ष पत्नी स्व0 सन्तू निवासिनी- ग्राम खबहा पुरवा मजरा टिकरी कला परगना व तहसील व जिला- लखनऊ की शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ:-

1. यह कि शपथिनी के पति सन्तू पुत्र रिक्खी के नाम तालाब आवन्तन मछली पालने हेतु भूमि गांटा संख्या- 1041 रकबा 1.037 हे0 स्थित ग्राम- बदैया, परगना व तहसील- मलिहाबाद, जनपद लखनऊ का पट्टा दिनांक 23.02.2016 में हुआ था।
2. यह कि शपथिनी के पति सन्तू की मृत्यु दिनांक 19.03.2017 को हो चुकी हैं।
3. यह कि शपथिनी के पति की मृत्यु के बाद उक्त पट्टा शुदा तालाब पर शपथिनी द्वारा तालाब में लगातार मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। तथा तालाब तक आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है।
4. यह कि इस तालाब के आलावा शपथिनी के पास कोई अन्य जीविको पार्जन का कोई अन्य साधन नहीं है।
5. यह कि शपथिनी के नाम हुए पट्टे का लगान बराबर जमा कर रही है।
6. यह कि शपथिनी एक गरीब महिला है उसका ही तालाब पर कब्जा है किसी अन्य व्यक्ति का तालाब पर कोई कब्जा नहीं है और मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तालाब में शपथिनी मछली पालन मौजदा समय मे कर रही है।

दिनांक:- 29.11.2019

शपथिनी

नि० शान्ती अग्रम

सत्यापन

मैं शपथिनी उपरोक्त सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र की धारा 01 से 06 तक के तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सत्य है। आज दिनांक 29.11.2019 को शपथिनी ने शपथ पत्र को स्थान तहसील मलिहाबाद बरखी का तालाब लखनऊ में हस्ताक्षर/नि० अ० बनाकर सत्यापित किया।

दिनांक:- 29.11.2019

शपथिनी

नि० शान्ती अग्रम

क्रमांक 17997 दिनांक 29/11/19

प्रयोजन

नाम व पता श्रीवास्ती पत्नी रण. रावत

कीमत 15

अजय कुमार श्रीवास्तव स्टाम्प विक्रेता लख

ला० नं० 188/2024

तह० बी०बी०, लखनऊ

भू 0 प्रब 0 स 0 नियम संग्रह का संशोधित पैरा 60-0(क) 0-5 एकड़ से अधिक फल के तालाबों में वैज्ञानिक मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पट्टे का शर्तनामा।

यह विलेख आज दिनांक 23 माह 02 वर्ष 2016 को गांव सभा ..... के द्वारा ..... जिला ..... लखनऊ  
 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा एवं उसकी तरफ से एवं श्री ..... पुत्र ..... रिन्दी  
 निवासी ..... अकखाना ..... पुलिस थाना ..... जिला ..... लखनऊ  
 अथवा ..... सहकारी समिति जो उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1985 के अधीन स्थापित  
 सहकारी समिति है, के बीच किया गया है।

इस विलेख के अनुसार पट्टेदार / सहकारी समिति की प्रार्थना पर गांव सभा / राज्यपाल द्वारा ..... के द्वारा  
 तालाब जो गांव सभा में स्थित है, तथा उसका प्लॉट खसरा नं०- ..... 1041 ..... क्षेत्रफल 1.037 हे०  
 तहसील ..... जिला ..... है केवल वैज्ञानिक मत्स्य पालन करने के लिए पट्टे पर  
 दिया गया है। पट्टे की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

उपरोक्त विलेख के अनुसार गांव / सभा राज्यपाल ने उपर्युक्त तालाब जो ..... नाम  
 से प्रसिद्ध है मत्स्य पालन करने के लिए इस विलेख दिनांक से दस वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक-23.02.2016 से  
 23.02.2026 तक के लिए पट्टे पर दिया है। पट्टे मत्स्य पालन के अधिकार के एवज में गांव सभा / राज्यपाल  
 को रु० 1037000 ..... प्रतिवर्ष की दर से लगान के रूप में पट्टे की अवधि के प्रत्येक वर्ष दिनांक-  
 30 जून तक गांव सभा / जिलाधिकारी अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि के पास अधिम जमा करेगा। लगान की प्रथम  
 किश्त पट्टेदार द्वारा इस विलेख के निस्तारण के पूर्व जमा कर दी गई है।

### पट्टेदार गांव सभा / राज्यपाल से निम्नलिखित वायदा करता हूँ :-

1. वह उपरोक्त तालाब का उपयोग मत्स्य पालन केवल वैज्ञानिक मत्स्य पालन के लिए ही करेगा।
2. वह यथा निर्धारित पट्टे के लगान की धनराशि प्रत्येक वर्ष निर्धारित दिनांक तक अवश्य जमा करेगा।
3. इस पट्टे की शर्तों को विधिवत् करने के लिए रु० ..... 500/- ..... यतौर जमानत के अकखाने  
 के बचत बैंक / राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र / सुरक्षा बचत प्रमाण पत्र बैंक / गारण्टी के रूप में जमा करेगा जो गांव सभा  
 जिलाधिकारी के मनोनीत प्रतिनिधि के नाम बंधक रहेगा। यह धनराशि पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन  
 करने पर जब्त कर ली जाएगी। ऐसा करना आवश्यक न हुआ तो पट्टे की समाप्ति पर यह धनराशि पट्टेदार को  
 वापस कर दी जायेगी।
4. पट्टेदार तालाब में पहले से हो रहे परम्परागत सार्वजनिक उपयोग जैसे कपड़े धोना, मिट्टी निकालना तथा पशुओं  
 के पानी पीने अथवा किसी व्यक्ति द्वारा पानी के लिए पानी का उपयोग करने आदि से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
5. पट्टेदार तालाब में कोई ऐसा विरपोटक या विषैला पदार्थ जिससे किसी भी जीव जन्तु के मरने की संभावना हो  
 उपयोग नहीं करेगा।
6. पट्टेदार को प्रत्येक वर्ष तालाब में 2000 प्रति एकड़ की दर से रोहू, नैन, मांकुर कामन कार्प, घास कार्प और  
 सिलवर कार्प मछली के बच्चे रखे एकत्र करके अथवा उ०प्र० शासन के मत्स्य विभाग मत्स्य पालक विकास  
 अभिकरण उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम से खरीद कर उन्हीं के परामर्शनुसार डालने होंगे।
7. पट्टेदार को तालाब का उप पट्टा देने या ठेका दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। वह  
 उप ठेकेदार पट्टेदार नहीं होगा।
8. पट्टेदार को तालाब में सिंघाड़ा जलकुम्भी इत्यादि की सफाई की सफाई स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।
9. पट्टेदार को तालाब के रख-रखाव के संबंध में मत्स्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये  
 आवश्यक सुझाव एवं सुधार कार्यान्वित करने होंगे। राजस्व एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों की समय-समय पर  
 तालाब का निरीक्षण एवं परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. पट्टेदार द्वारा पट्टे की किसी अथवा समस्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर गांव सभा जिलाधिकारी को यह  
 अधिकार होगा कि वह बिना किसी प्रतिकर के यह पट्टा लिखित आदेश द्वारा रद्द करके उपर्युक्त जमानत जमा  
 कर लें। ऐसी दशा में गांव सभा अथवा उसके मनोनीत प्रतिनिधि की उक्त तालाब का पट्टा अन्य समिति / व्यक्ति  
 को दे देने का पूर्ण अधिकार होगा। उसके फलस्वरूप पट्टेदार को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा  
 और न ही पट्टेदार को मांग करेगा। यदि हमारे कोई आर्थिक हानि गांव सभा / राज्यपाल द्वारा की गयी है तो उसे

- इस विलेख के अधीन पट्टेदार से वसूल की जाने वाली कोई भी धनराशि जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चयिक तथा पट्टेदार पर बाध्यकर होगा, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।
12. यदि पट्टेदार का व्यवहार पट्टेदार की अवधि में संतोषप्रद पाया गया तो उसके पट्टे का नवीनीकरण उसके व्यय पर अगली दस वर्षों अथवा उसके किसी भाग के लिये किया जा सकेगा।
  13. प्रत्येक ऐसे नवीनीकरण के समय उपर्युक्त लगान में वृद्धि की जा सकेगी तथा ऐसी वृद्धि नवीनीकरण से पूर्व पिछले 03 वर्षों की हुए अन्य पट्टों अथवा उक्त अवधि में पट्टेदार की पट्टे से हुई आय के औसत आधार पर निर्धारित की जायेगी।
  14. इस विलेख में स्टाम्प शुल्क तथा अन्य निष्पादन व्यय पट्टेदार को वहन करना होगा।
  15. अनार्विक्त वाद सूखा या अन्य किसी आपदा के कारण यदि तालाब में कोई क्षति होती है तो पट्टेदार को किसी प्रकार का मुआवजा अथवा रियायत नहीं दी जायेगी।
  16. शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जो भी सामान्य आदेश जारी होंगे वह भी पट्टेदार को मान्य होंगे उसे 30प्र0 भूमि प्रबंध समिति नियम संग्रह में जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
  17. पट्टेदार को तालाब की भूमि पर किसी प्रकार से कृषि करने का अधिकार न होगा।
  18. पट्टेदार को मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए बैंक तथा सहकारी संस्थाओं आदि से ऋण लेने हेतु अपना पट्टा बंधक रखने का अधिकार होगा, उपरोक्त विलेख एवं शर्तों के संबन्ध में हम निम्नलिखित व्यक्ति हस्ताक्षर करते हैं:-

1. गाँव सभा / जिलाधिकारी  
2. उसके मनोनीत प्रतिनिधि

उप  
माल

पट्टेदार  
Rim  
Et

गवाह:-  
1. लक्ष्मण (क)

2. दिनेश कुमार सिन्हा

प्रतिहस्ताक्षरी

परगनाधिकारी  
(सील)  
उप जिला मजिस्ट्रेट  
मलिहाबाद  
लखनऊ

कोषागार प्रपत्र-२०६ (१)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-४, भाग-२

प्रपत्र संख्या-४३ए (१)

(प्रस्तर ४१७ एवं ४७८ देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

१- उपकोषागार/बैंक का नाम व ब शाखा) जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालाबाद  
अनूप शरणम

२- पता

निवासी

रमेश सुन रिक्वा  
श्रीम रमजहा सुटना, ६० टिकरी कला  
परभनी व तहल मालाबाद, लखनऊ

३- प्रतीकरण संख्या/पक्ष का नाम व पद संख्या (यदि आवश्यक हो)

४- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की रही तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

तालाब आलमन कागाम

५- चालान की सकल राशि

६- चालान की निर्बल राशि

७- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक को मुहर

10500/- रुपया माल

८- लेखा-शीर्षक का कोड १३ डिजिट कोड मुख्य-लेखा-शीर्षक उप मुख्य-शीर्षक

0029

00

लघु शीर्षक 101

उप-शीर्षक 01

ब्योचकार-शीर्षक 02

धनराशि 10500

धनराशि (शब्दों में) दस हजार पांच सौ रुपया माल

दस हजार पांच सौ रुपया माल

चालान में लेखाशीर्षक की पृष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

27.4.2011

प्राप्तकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

011.10003

चालान संख्या



अंको में ल०

शब्दों में ल०

10500/-  
27 APR 2011  
10500/-

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित

दिनांक



# उद्धरण खतौनी (शासकीय)

# सिलगनक - 6

उद्धरण क्रमांक : 143016201912182

ग्राम क्रमांक : 143016	ग्राम का नाम / पराना : बदैया(मलिहाबाद)	तहसील : मलिहाबाद	जनपद : लखनऊ	फसली वर्ष : 1426-1431	भाग : 1		
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

00645	नदी //		591	2.9110		
			5717	0.1520		
			695	0.1640		
			1055क	0.0760		
			995 ✓	0.5820		
			651/3	1.6500		
			1056क	0.2020		
			1081	1.1630		
			696	0.3920		
			971 ✓	0.6450		
			573	7.5940		
			701	0.4110		
			673	3.4900		
			1022क	3.7050		
			969	4.5680		
			996 ✓	0.0130		
			16	27.7180	0.00	0

कुल गाटे- एक छः कुल क्षेत्रफल- दो सात दशमलव सात एक आठ शून्य (हैक्टर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAM SURAT YADAV

सकम अधिकारी: AMIT SRIVASTAVA  
तहसील: मलिहाबाद जनपद: लखनऊ



## उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 14301720191299

ग्राम क्रमांक : 143017 ग्राम का नाम / परगना : टिकरी कला(मलिहाबाद) तहसील : मलिहाबाद फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

खाला खतौनी क्रम संख्या	खालेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाले के प्रत्येक गेटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गेटे का क्षेत्रफल (हे.)	खालेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

00409 नदी गोमती / . / .

कुल गेटे- पाँच कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव दो तीन तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: VISHAL SINGH



सक्षम अधिकारी: AMIT SRIVASTAVA

तहसील: मलिहाबाद जनपद: लखनऊ

दिनांक एवं समय: 11-12-2019 02:40:19

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरिफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



## वाद का सारांश

संलग्नक-०

प्रिंट निकाले

मण्डल:- लखनऊ जनपद:- लखनऊ तहसील:- मलिहाबाद न्यायालय:- तहसीलदार

वाद सं०:	03096/2019	कंप्यूटरीकृत वाद सं०:	T201910460103096
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	गासभा , - बनाम नीलाशं प्रापर्टीज द्वारा निदेशक सन्तोष श्रीवास्तव , 4342	वाद की स्थिति:	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
वाद प्रकृति:	मूल वाद	दाखिल करने का दिनांक:	11-Dec-2019
अगला सुनवाई दिनांक:	27-Dec-2019	अधिनियम, धारा:	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67
गाँव और परगने का नाम:	गाँव:- , परगने का नाम:- मलिहाबाद		

वादग्रस्त भूमि का विवरण								
क्र सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	लखनऊ	मलिहाबाद	मलिहाबाद	टिकरी कलां	00408	243	143017- 0243-000061	0.0630
2	लखनऊ	मलिहाबाद	मलिहाबाद	टिकरी कलां	00409	186	143017- 0186-000061	0.2530
3	लखनऊ	मलिहाबाद	मलिहाबाद	टिकरी कलां	00408	193	143017- 0193-000061	0.1520

**Disclaimer :** उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

सहस्रक-९वाद का सारांश

प्रिंट निकाले

मण्डल: - लखनऊ जनपद: - लखनऊ तहसील: - मलिहाबाद न्यायालय: - तहसीलदार

वाद सं०: 03098/2019 कंप्यूटरीकृत वाद सं०: T201910460103098

वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता: गावसभा , - बनाम नीलाशं प्रापर्टीज द्वारा निदेशक सन्तोष श्रीवास्तव , - वाद की स्थिति: प्रतीक्षा नोटिस तामीला

वाद प्रकृति: मूल वाद दाखिल करने का दिनांक: 11-Dec-2019

अगला सुनवाई दिनांक: 27-Dec-2019 अधिनियम, धारा: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67

गाँव और परगने का नाम: गाँव:- , परगने का नाम:- मलिहाबाद

वादग्रस्त भूमि का विवरण								
क्र सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	लखनऊ	मलिहाबाद	मलिहाबाद	बदैया	00645	996	143016-0996-000061	0.0130
2	लखनऊ	मलिहाबाद	मलिहाबाद	बदैया	00645	971	143016-0971-000061	0.6450
3	लखनऊ	मलिहाबाद	मलिहाबाद	बदैया	00645	995	143016-0995-000061	0.5820

**Disclaimer:** उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

संलग्नक-१०




संलग्नक-१०



# संलग्नक - 14

- वर्तमान नदी-प्रवाह क्षेत्र।
- नीलाश गुणवत्ता भूमि।
- नदी व तालाब अंकित भूमि।



→ ग्राम बर्देयाँके शहरे में प्रदूषित कोमती नदी का पूर्व प्रवाह क्षेत्र।

सिमा ग्राम एकद्वारा कला

# संलग्नक - 12



## Explore Badiya

Explore

Commute

For you




3:12

VoLTE LTE LTE2 76%



Search here



Google

Explore nearby

Explore

Commute

For you



कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

संख्या 2075 / एनजीटी/ओए नम्बर 919/2019

दिनांक नवम्बर 18, 2019

कार्यालय आदेश

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 919/2019 बाल बहादुर सिंह बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 एवं अन्य में दिनांक 01.11.2019 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है—

"Grievance in this application is that there is encroachment of ponds by Nilansh Group in Village Tikri Kalan and village Badaiya Pargana, Tehsil Mahilabad, District Lucknow. Uttar Pradesh.

Let the District Magistrate, Lucknow and the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The SPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

A copy this order, along with complaint, be sent to the District Magistrate, Lucknow and the SPCB by e-mail for compliance.

Needless to say that order of National Green Tribunal is binding as a decree of Court and non-compliance is actionable by way of punitive action including prosecution, in terms of the National Green Tribunal Act-2010

List for further consideration on 07-02-2020.

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के समादर में ग्राम टिकरीकलॉ एवं ग्राम बदैया परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ स्थित तालाब खाते में दर्ज भूमियों पर कथित अनाधिकृत कब्जे की जांच हेतु निम्नवत् कमेटी का गठन किया जाता है—

1. उप जिलाधिकारी मलिहाबाद, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

उपरोक्त गठित कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर पत्र संयुक्त रूप से स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के आधार पर सुस्पष्ट आख्या अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(अभिषेक प्रकाश)

जिलाधिकारी, लखनऊ।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ।
2. उप जिलाधिकारी मलिहाबाद, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी (भू0व्य0)/जिला भू0व्य0लिपिक को अनुश्रवण हेतु।

जिलाधिकारी,  
लखनऊ